



Public Charitable Trust
established in 1919

The Bombay Mothers and Children Welfare Society

10, B.D.D. Chawl N.M. Joshi Marg, Mumbai - 400 013. Tel.: 23085794. • Email : admin@thebmcws.com • drmadhav@hotmail.com • bmcws1919@gmail.com

CS/9-C/ 50

Date:- 26/04/2016

BOARD OF TRUSTEES

CHAIRMAN

Shri. J. F. Ribeiro
Indian Police Service
(Retd.)

VICE CHAIRMAN

Dr. Dolly Gurbaxani,
M.D., D.A.
Shri. Paras Gundecha
Mrs. Maya Shahani

JT. HON. TREASURERS :

Mrs. Anjali Laud, B.A.
Dr. Shailaja Telang,
M.D., DA, M.B.B.S.

JT. HON. SECRETARIES

Dr. Madhav Sathe,
M.D, D.A.
Dr. Navneet Shah,
G.F.A.M.

Society Registration
No. 1500 of 1946-47

Bombay Public Trust
Registration No.
F-137 (BOM)

Tax Exemption
Certificate

आ. नि. (कू)/मु.न./80-जी/
1233 2007/08

Foreign Contribution
Registration No.
083780521

Web.: www.thebmcws.com

To,
Young Volunteers Organization
C-104, Mhatre Pen Bldg,
Senapati Bapat Marg,
Babasaheb Ambedkar Nagar,
Dadar (West), Mumbai – 400 028

Dear Sir/Madam,

Greeting from The Bombay Mothers & Children Welfare Society.

We thank you for your donation of Rs. 1,20,176.32/- (Rupees One Lac Twenty Thousand One Hundred and Seventy Six and Thirty Two Paise Only) towards donation for E-Learning Programme at 4 Adivasi School at Rajgurunagar by NEFT transfer on 22.04.2016 to SBI Bank Account No. 34227701406.

Please find enclosed herewith Stamp Receipt No. 10004 Dt. 26.04.2016 for the same.

We assure you of continuation of good work that Society is doing.

We are sincerely thankful to you for your generous contribution to our Institute. We are sure of your continued support.

Thanking you,

Yours faithfully,
For The Bombay Mothers & Children Welfare Society

Mr. Anant Patil
Administrative Officer


Administrative Officer
The Bombay Mothers &
Children Welfare Society

An organization devoted to the welfare of the weaker sections of the society

Dr. Tilak Hospital, Worli	Dr. Mhaskar Hospital, Lower Parel	Rajgurunagar Health Unit, Pune	Malwadi Bhilwadi Hospital, Sangli	Pannalal Lohe Day Care Centre, Vileparle	Metiben Gundehca Palnagar, Goregaon	Pushpatai Kittur Smruti Balmandir, Lower Parel	Usgaonkar Memorial Balvihar, Dahisar
---------------------------------	---	--------------------------------------	---	--	---	--	--

Please address all communication to The Jt. Hon. Secretaries

Registered Office :
10, B. D. D. Chawl, N.M. Joshi Marg,
Lower Parel, Mumbai - 400 013
Phone : 022-2308 5794
Email : bmcws1919@gmail.com
Website : www.thebmcws.com



The Bombay Mothers and Children Welfare Society
Public Charitable Trust
established in 1919

Receipt No. : **10004**

DONATION RECEIPT

Date : 26.04.2016

RECEIVED with thanks from YOUNG VOLUNTEERS ORGANIZATION
Address Senapati Bapat Marg, Babasaheb Ambedkar
Nagar, Mumbai, Maharashtra. 400 028.

the sum of Rupees One lac Twenty Thousand One Hundred Seventy
six and thirty Two Paise only
in Cash / Cheque No. Bank Transfer (NFT) Date 22.4.16

on account of Donation for E-learning programme at 4
Adivasi Schools at Rajgurunagar.

Tax Exemption Certificate No.
आ. नि. (रू)/मु. न/ 80-जो/ 1233/2007/2007-08

₹ 120,176.32/-



Jt. Secretary

AN ORGANISATION DEVOTED TO THE WELFARE OF THE WEAKER SECTIONS OF THE SOCIETY

DONATION RECEIPT

कार्यालय, आय कर निदेशक (छूट)
छठी मंजिल, पीरामल चैम्बर्स, लालबाग मुंबई ४०००१२.

आदेश संख्या : आ.नि. (छूट)/मु.न./८०-जी/1233/2007/2007-08

निर्धारिती का नाम और पता : THE BOMBAY MOTHERS & CHILDREN
WELFARE SOCIETY
10, BDD Chawl, N. M. Joshi Marg,
Mumbai 400 013.
2A रजिस्ट्रेशन सं. : TR/12229 dated 03/01/1978
आवेदन की तारीख : 26/11/2007
स्था.ले.सं. : AAA TT 4743 P
आदेश की तारीख : 28/03/2008

आयकर अधिनियम की धारा ८०-जी के अन्तर्गत प्रमाणपत्र (01/04/2008 से 31/03/2011 तक वैध)
(प्रारंभिक / नवीकरण)

मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए तथ्यों के अवलोकन /आवेदक के मामले की सुनवाई के पश्चात् मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था ने आयकर अधिनियम की धारा ८०-जी के अन्तर्गत उपधारा (५)के की शर्तों को पूरा किया है. निम्नांकित किसी शर्त की अवज्ञा दुरुपयोग कमी या उल्लंघन की स्थिति में कानून के अनुसार ये सुविधाएँ दाता संस्थान द्वारा जब्त कर ली जायेंगी. संस्था को ८०-जी की यह छूट निम्न शर्तों पर दी जाती है

- i) संस्था अपनी लेखा पुस्तकें नियमित रूप से बनाए रखेगी और उनका परीक्षण आयकर अधिनियम की धारा ८०-जी (5) (iv) के अधीन - धारा १२ए (बी) - के अनुपालन के साथ करवायेगी.
- ii) दानदाताओं की दी जाने वाली रसीद पर इस आदेश की संख्या एवं दिनांक अंकित की जायेगी और उस पर यह स्पष्ट रूप से छपवाया जायेगा कि यह प्रमाणपत्र कब तक वैध है.
- iii) न्यास /संस्था के विलेख (deed)में परिवर्तन कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप ही किया जायेगा और इसकी सूचना इस कार्यालय को तत्काल दी जायेगी.
- iv) यदि संस्था धारा ८०-जी के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा १२(ए), धारा १२ए(१)(बी)के अन्तर्गत पंजीकृत है अथवा संस्था ने धारा १०(२३), १०(२३सी)-(VI)(VI-ए) के अंतर्गत मंजूरी प्राप्त कर ली है तो धारा ८०-जी(५)(i)(ए)के अधीन किसी व्यवसायिक गतिविधि चलाने के लिए संस्था को अलग से लेखा पुस्तकें रखनी होंगी. साथ ही ऐसी गतिविधि शुरू होने की तारीख के एक माह के भीतर उसकी सूचना इस कार्यालय को देनी होगी.
- v) धारा ८०-जी के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त दानराशि का किसी व्यवसाय हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं किया जायेगा
- vi) संस्था दानदाता को प्रमाणपत्र जारी करते समय ऊपर वर्णित प्रतिबद्धता का आदर करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि प्रमाणपत्र का दुरुपयोग या अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग न हो.
- vii) संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि किसी गैर न्यासी प्रयोजन के लिए न्यास या सोसायटी या गैर-लाम-कंपनी द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जाएगा और न ही इसके उपयोग की कोशिश की जाएगी.
- viii) संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी सूरत में संस्था या उसकी निधि का उपयोग धारा ८०-जी (५)(iii) के अधीन निषिद्ध किसी विशेष धर्म या जाति या समुदाय के लाम के लिए नहीं किया जायेगा.
- ix) संस्था को न्यास या सोसायटी या गैर-लाम-कंपनी के प्रबंधक न्यासी या प्रबंधक के बारे में बताए और बताए गए देशों को पूरा करने के लिए न्यास या संस्था के क्रिया कलाप कहाँ किए जा रहे हैं या किए जाने की संभावना है इसकी सूचना इस कार्यालय एवं निर्धारण अधिकारी को देनी होगी.
- x) यदि नवीकरण के लिए कार्यालय से संपर्क नहीं किया गया हो तो आस्तियों का प्रयोग किस प्रकार किया जायेगा या किन उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जायेगा इस संबंध में इस कार्यालय को तुरंत सूचित किया जायेगा.
- xi) धार्मिक व्यय कुल आय के ५% से अधिक नहीं होगा. आयकर अधिनियम १९६१, की धारा ८० जी के अन्तर्गत प्रमाणपत्र न्यास या संस्था की आय को अपने आप छूट नहीं देता.

प्रतिलिपि - १.) आवेदक २.) गार्ड फाईल



- ८० -
(आर. के. सिन्हा)
आयकर निदेशक (छूट), मुंबई.

(मनुलाल बैठा)
आयकर अधिकारी (तकनीकी), मुंबई.